भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1451

26 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए नियत

हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण

1451. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना के कार्यान्वयन की बहुत धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों की लागत को आंतरिक दहन इंजनों वाले वाहनों (आईसीईएस) के बराबर लाने के लिए कौन-कौन से नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): महोदय, भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में, भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II का कार्यान्वयन कुल 1000 करोड़ रुपये के बजट आबंटन से, दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसका लक्ष्य 7090 इलेक्ट्रिक बसों, 5 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, 55,000 इलेक्ट्रिक चौपहिया यात्री कारों तथा 10 लाख इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। दिनांक 15 जुलाई, 2022 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत इलेक्ट्रिक दुपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक चौपहिया के 58 मूल उपकरण विनिर्माताओं का पंजीकरण किया गया है और लगभग 4.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है।

(ख) और (ग): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम) स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी गति के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं-

(i) संबंधित आईसी इंजन वाहन की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन की उच्च अग्रिम लागत।

(ii) इलेक्ट्रिक वाहन की रेंज के बारे में ग्राहक की चिंता।

(iii) अंतर्दहन इंजन की तुलना में भारत में सीमित मॉडल की उपलब्धता-- विशेषकर इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में।

तथापि, सरकार ने इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों की लागत अंतर्दहन इंजनों के बराबर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: -

i. दिनांक 11 जून, 2021 से इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन को वाहन लागत सीमा के 20% से बढ़ाकर 40% अर्थात 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटे कर दिया गया है। इस प्रकार, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आईसीई दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को दिनांक 12 मई, 2021 को मंज़ूरी दी है। बैटरी की कीमतों में कमी से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी आएगी। ऑटोमोबिल और ऑटो घटक के लिए इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को दिनांक 23 सितम्बर 2021 को अधिसूचित किया गया था जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।

iii. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

****